

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में  
सी.एम.पी. संख्या 450/2019

-----

मिसिर गंडू

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, डाकघर-  
जी.पी.ओ. थाना- कोतवाली, रांची
2. भूमि अधिकारी, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, डाकघर- जी.पी.ओ. थाना-  
कोतवाली, रांची
3. मुख्य महाप्रबंधक, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, उत्तरी करनपुरा, क्षेत्र, डकरा, डाकघर-  
खेलारी, थाना- पिपरवार, जिला चतरा
4. उपायुक्त, हजारीबाग, डाकघर और थाना- हजारीबाग, जिला हजारीबाग..... उत्तरदाता

---

**कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती अनुभा रावत चौधरी**

---

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री ओ.पी. तिवारी, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं की ओर से : श्री ए.के. दास, अधिवक्ता

सुश्री आकांक्षा अनिल, अधिवक्ता

---

**3/31.01.2020**

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री ओ.पी. तिवारी उपस्थित हैं।
2. श्री ए.के. दास, विद्वान अधिवक्ता उत्तरदाता संख्या 1 और 3 की ओर से उपस्थित हुए। उत्तरदाता संख्या 4 की ओर से सुश्री आकांक्षा अनिल उपस्थित हुईं।
3. यह याचिका डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 5869/2016 की पुनर्बहाली के लिए दायर की गई है, जो दोषों को दूर न करने के कारण 25.04.2019 को खारिज कर दी गई थी। विद्वान

अधिवक्ता का कहना है कि आवेदन के पैरा 2 में दोषों को दूर न करने का कारण उल्लिखित है।

4. उत्तरदाताओं के अधिवक्ता को इस रिट याचिका की बहाली पर कोई गंभीर आपत्ति नहीं है।

5. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने और मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने तथा आवेदन में किए गए अभिकथनों से संतुष्ट होने के बाद, रिट याचिका डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 5869/2016 एतद्वारा मूल फ़ाइल में पुनर्बहाल की जाती है।

6. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस रिट याचिका को रोस्टर के अनुसार फरवरी, 2020 में उपयुक्त पीठ के समक्ष रखा जाए।

7. तदनुसार यह सी. एम.पी. का निस्तारण किया जाता है।

**(अनुभा रावत चौधरी, न्याया.)**

बिनीत/